अ
क्रमांक

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या – 37/2015 अस्थाई निषेधाज्ञा
उनवान – सुप्यारकंवर बनाम बालू आदि

आदेश	कार्यवाही विवरण	अनु क्र. दि.
24.05.2017	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्राम पंचायत चिराना में प्रस्तुत हुई। मामला इस प्रकार है कि ग्राम पहाडिला की भूमि ख.न. 95 रकबा 3.54 है0 का आवेदिका व अनावेदकगण नं. 1 लगायत 4 की शामलाती कृषि भूमि है जिसको आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। सम्पूर्ण भूमि में आवेदिका की 1/4 हिस्सा, अनावेदक नं. 1 व 2 का 1/4 हिस्सा, अनावेदक नं. 3 का 1/4 तथा अनावेदक नं. 4 का 1/4 हिस्सा है। इसी अनुसार उक्त अविभाजीत आराजीयात की कृषि भूमि में अपने अपने हिस्से अनुसार निर्बाध रूप से कब्जा काश्त करते आ रहे हैं। भूमि ख.न. 95 रकबा 3.54 है0 में से 1/4 हिस्सा विकेता रामपाल पुत्र सांवरा जाति कुम्हार निवासी पहाडिला से कय किया था जिसका दिनांक 19.01.2015 को रजिस्टर्ड विकय पत्र उप पंजियक नवलगढ से तस्दीक करवाया गया है। भूमि अविभाजित है जिसका विधिवत विभाजन नही हुआ है। अतः तादौराने वाद अनवेदकगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम पहाडिला में भूमि ख.न. 95रकबा 3.54 है0 स्थित है जिसमें आवेदिका का सम्पूर्ण भूमि में 1/4 हिस्सा है। अनावेदकगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि आवेदिका के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करें तथा जब तक विधिवत विभाजन नही हो जाता तब तक किसी दीगर व्यक्ति संस्था समिति आदि को बेचान ना करें। प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 08.04.2015 को अनावेदक नं. 1 लगायत 4 के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया। अनावेदकगण दो वर्ष व्यतीत होने उपरांत भी जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। अतः आवेदिका का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अनावेदक नं. 1 लगायत 4 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ता दावा निर्णय आवेदिका के हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करें, वादग्रस्त आराजीयात का विक्रय आदि नही करें तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 08.04.2015 को पुष्ट (कन्फर्म) किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा मूल वाद के सलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 24.05.2017 को मजमे शिविर सुनाया गया। (दुर्गा प्रसाद मीना) उपखण्ड अधिकारी नवलगढ	

Scanned by CamScanner